

कार्यालय-अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
चन्द्र शेखट आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर

आवश्यक सूचना

ओमिकॉन (कोविड) संक्रमण से बचाव हेतु छात्रावासों में अधिवासित छात्र/छात्राओं एवं मेस कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

- सभी छात्र/छात्राओं को छात्रावास एवं कक्षाओं में मास्क लगाना एवं शारीरिक दूरी रखना ज़रूरी होगा। किसी भी स्थान पर भीड़ के रूप में इकट्ठा नहीं होंगे।
- मेस में छात्रों को भोजन परोसने का कार्य एक ही जगह से कर्मचारी द्वारा किया जायेगा। वहीं से सभी छात्रों को स्वयं जाकर (self service) भोजन प्राप्त करना होगा।
- मेस में कर्मचारियों को भी मास्क, दस्ताना एवं कैप लगाना आवश्यक है।
- मेस एवं कैंटीन में भी बैठते समय शारीरिक दूरी (Physical distancing) का पालन करना होगा।
- सभी छात्र/छात्राओं को मेस/कैंटीन के अतिरिक्त बाहर से किसी भी प्रकार का भोजन एवं अन्य खाद्य सामग्री लाना व मगाना पूर्णतः वर्जित होगा। नास्ते एवं दैनिक उपयोगी सामानों के लिये विश्वविद्यालय प्रांगण में कैफेटेरिया के प्रथम तल पर संचालित दुकान से क्रय करेंगे। अतिआवश्यक कार्य हेतु ही परिसर से बाहर जायें।
- समस्त छात्र/छात्राओं को सुबह एवं सांय का नाश्ता कैम्पस के बाहर न जा कर कैफेटेरिया में ही करना होगा।
- छात्रावास के अन्दर एवं बाहर तथा विश्वविद्यालय परिसर में कहीं पर भी थूंकना सख्त मना है।
- छात्रावासों में अगर किसी भी छात्र/छात्राओं को सर्दी जुखाम, खांसी अथवा बुखार होने पर वार्डेन/चिकित्साधिकारी/अधिष्ठाता छात्र कल्याण को तुरन्त अवगत कराना होगा, जिससे सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही करते हुये अतिशीघ्र इलाज कराया जा सके। एम्बुलेन्स सेवा भी 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी।


(आर० पी० सिंह)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण